भारत सरकार

जल संसाधन मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1070

जिसका उत्‍तर 3 दिसम्‍बर, 2012 को दिया जाना है ।

**.....**

**राष्‍ट्रीय सिंचाई विकास प्राधिकरण (एन. आई. डी. ए.) की स्‍थापना**

**1070. डा. चन्‍दन मित्रा :**

क्‍या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्‍या सरकार राष्‍ट्रीय सिंचाई विकास प्राधिकरण (एन. आई. डी. ए.) और राष्‍ट्रीय जल आयोग स्‍थापित करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्‍य-मुख्‍य विशेषताएं और उनके विचारार्थ विषय क्‍या हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा सम्‍पूर्ण जल वितरण प्रणाली में व्‍यापक परिवर्तन करने और उसे विनियमित करने और उत्‍सर्जन शोधन हेतु मानकों सहित विभिन्‍न कार्यकलापों के लिए जल के अधिकतम प्रयोग हेतु मानक और स्‍थानीय जल स्रोतों से जल दोहन की

सीमा निर्धारित करने के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं ?

**उत्‍तर**

**जल संसाधन मंत्री (श्री हरीश रावत)**

(क) केन्‍द्र सरकार का एक राष्‍ट्रीय सिंचाई विकास प्राधिकरण और एक राष्‍ट्रीय जल आयोग का गठन करने का वर्तमान में कोई प्रस्‍ताव नहीं है ।

(ख) उपर्युक्‍त (क) के उत्‍तर को ध्‍यान में रखते हुए प्रश्‍न नहीं उठता ।

(ग) जल वितरण प्रणाली के पुनरूद्धार और विनियमन के मामले राज्‍य सरकारों के कार्यक्षेत्र में आते हैं। तथापि राष्‍ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा अपनायी गई राष्‍ट्रीय जल नीति (2002) में देश के जल संसाधनों के ईष्‍टतम विकास और प्रंबधन हेतु नीति-सिफारिशों का निर्धारण किया गया है । इसके अलावा केन्‍द्र सरकार ने राज्‍य सरकारों द्वारा समुचित अधिनियमन किए जाने हेतु भूमिजल के विकास के विनियमन और नियंत्रण हेतु एक माडल विधेयक भी परिचालित किया है । बहिस्‍त्राव उपचार के मानदंडो का निर्धारण केन्‍द्रीय और राज्‍य प्रदूषण नियन्‍त्रण र्बोडों द्वारा किया जाता है। स्‍थानीय जल संसाधनों की निकासी को कम करना राज्‍य सरकारों के अधिकार कार्यक्षेत्र में आता है ।

\*\*\*\*\*